(वाद संख्या–2696/18)

08.08.2019

परिवादी, ओम प्रकाश, बिहार प्रशासनिक सेवा, सम्प्रति (निलंबित), आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, सीतामढ़ी को दो लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने से संबंधित निगरानी थाना कांड संख्या–52/16, दिनांक–14.05.2016 के आलोक में दिनांक–13.05.2016 के प्रभाव से निलंबित किये जाने तथा न्यायिक अभिरक्षा से दिनांक–26.07.2016 को कारा मुक्त होने के उपरान्त सेवा में योगदान दिये जाने के बाद उन्हें नियमानुसार नये आदेश द्वारा उनके निलंबन को विस्तारित नहीं किये जाने तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 के उप–नियम–7 का अनुपालन न किये जाने के आधार पर दाखिल किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उसे निगरानी धावा दल द्वारा कथित रूप से दो लाख रुपये रिश्वत लेते दिनांक–13.05.2016 को गिरफ्तार किया गया था। सरकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (जिसे बाद में नियमावली,2005 के रूप में संबोधित किया जा रहा है) के नियम–9 के उप–नियम–2के आलोक में, गिरफ्तारी की तिथि से, उसे निलंबित कर दिया गया। उक्त आपराधिक मामले में जमानत पर मुक्त होने के उपरान्त परिवादी द्वारा दिनांक–26 जुलाई, 2016 को आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में अपना योगदान दिया गया। नियमावली–2005 के नियम–9 के उप–नियम–3(i) के अनुसार कारावास अवधि के बाद सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझे जाने की अवधि स्वतः समाप्त समझी जायेगी और उसका योगदान स्वीकार किया जायेगा तथा नियम–9 के उप–नियम–3 (ii) के अनुसार, योगदान स्वीकार करने के उपरांत अगर सरकार द्वारा उसे पुनः निलंबित करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो योगदान स्वीकार करने के बाद इस संबंध में अलग से निलंबन आदेश निर्गत किया जाना है। परिवादी का कथन है कि योगदान स्वीकार करने के बाद उसे पुनः निलंबित करने के संबंध में सरकार द्वारा अलग से कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है तथा उसे आज तक अनावश्यक रूप से निलंबित रखा गया है।

परिवादी का यह भी कथन है कि नियमावली, 2005 के नियम–9 के उपनियम–7 के अन्तर्गत अगर तीन माह के अन्दर आरोप–पत्र गठित नहीं किया जाता है तो तीन माह की अवधि की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस ले लिया जायेगा, जबतक कि निलंबनादेश निर्गत करने वाला प्राधिकार आरोप–पत्र के गठित किए जाने में विलंब के

कारण को अभिलिखित करते हुए अगले चार माह तक के लिए निलंबन को नवीकृत करने सम्बन्धी आदेश पारित नहीं करे। उक्त चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी यदि आरोप–पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया समझा जायेगा। परिवादी का कथन है कि उसके विरूद्ध प्रसंगाधीन विभागीय कार्रवाई में संकल्प ज्ञापांक सं0–6245, दिनांक–25.05.2017 (निलंबन के करीब एक वर्ष के पश्चात्) द्वारा उसके विरूद्ध आरोप–पत्र गठित किया गया है। उक्त तथ्य का समर्थन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–10522, दिनांक–06.08.2018 द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन से भी प्रतीत होता है। उक्त के आलोक में नियमावली, 2005 के नियम–9 के उप–नियम–7 के आलोक में उसका निलंबनादेश स्वतः वापस समझा जायेगा, लेकिन उसे अभीतक विभाग द्वारा निलंबित रखा गया है।

कार्यालय, उक्त के संबंध में परिवादी के दिनांक–10.04.2019 को दाखिल आवेदन (अनुलग्नकों सहित) की प्रति संलग्न कर, आज पारित आदेश की प्रति के साथ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से दिनांक–30.09.2019 के पूर्व आज पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं पर सुसंगत प्रतिवेदन की मांग किया जाय।

आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबंध में परिवादी को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त तिथि को परिवादी उपस्थिति रहेंगे।

संचिका दिनांक–30.09.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक